

(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 81

नई दिल्ली,

07.04.2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, तैरती क्रेन (एफ. सी.) पेरियार और ड्रैज़र नेहरू शताब्दी के किराया प्रभारों के संशोधन के लिए कोच्चि पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेश के अनुसार निपटाता है।

(रानी जाधव)

अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/19/2008-सीओपीटी

कोच्चि पत्तन न्यास

आवेदक

आ दे श

(फरवरी 2010 के 23 वें दिन पारित)

यह प्रकरण, ड्रैज़र नेहरू शताब्दी और तैरती क्रेन (फ्लोटिंग क्रेन / एफ.सी.) पेरियार के किराया प्रभारों के संशोधन हेतु कोच्चि पत्तन न्यास (सीओपीटी)द्वारा दाखिल किए गए दो प्रस्तावों दिनांक 26 फरवरी 2008 से संबंधित है ।

2.1 सीओपीटी द्वारा फरवरी 2008 में दाखिल किए गए प्रस्ताव के साथ एफ.सी. पेरियार की दरों में प्रस्तावित वृद्धि का औचित्य सिद्ध करने के लिए कोई लागत विवरणी साथ नहीं जोड़ी गई थी । प्रस्ताव में पायी गई कमियों से भी सीओपीटी को हमारे पत्र दिनांक 19 मार्च 2008 द्वारा अवगत करवाया गया था ।

2.2 एफ.सी. पेरियार और ड्रैज़र नेहरू शताब्दी के किराया प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि का औचित्य सिद्ध करने के लिए सीओपीटी ने लागत विवरणियों के साथ-साथ, उठाए गए बिन्दुओं पर अपने स्पष्टीकरण भी अपने दिनांक 9 अप्रैल 2008 के पत्र द्वारा प्रस्तुत किए हैं ।

2.3 तैरती क्रेन / ड्रैज़र की क्षमता रेंज के आधार पर प्रशुल्क निर्धारित करने के मुद्दे पर सीओपीटी ने स्पष्ट किया है कि दोनों पोतों द्वारा निष्पादित गतिविधियां अलग-अलग हैं और इसलिए उनकी पहचान अलग-अलग उपकरणों के रूप में की जा सकती है न कि क्षमता रेंज के आधार पर ।

2.4 प्रस्तावों का सारांश और सीओपीटी द्वारा प्रस्तुत सूचना / स्पष्टीकरण संक्षेप में निम्नानुसार हैं :-

ड्रैज़र नेहरू शताब्दी

- (i) ड्रैज़र, भीतरी हार्बर चैनलों और बर्थ के आसपास के जल प्रदेश के अनुरक्षण के लिए पत्तन द्वारा उपयोग किया जाने वाला ग्रैब ड्रैज़र है । इसके अतिरिक्त कभी-कभी कोच्चि शिपयार्ड लिमि., नौसेना और तटरक्षक दल अपने वाटर फ्रंट क्षेत्र में ड्रैज़िंग कार्य के लिए इसे किराए पर ले लेते हैं ।
- (ii) (क) अक्टूबर 2006 में यह ड्रैज़र एक अन्य पोत से टकरा गया और तब इसकी मरम्मत पर 103.85 लाख रु पये व्यय करने पड़े थे । इसके अतिरिक्त, 523.88 लाख रु पये का व्यय करते हुए सर्वेक्षण कार्य भी करवाया गया था ।
- (ख) हमारे प्रश्नों के उत्तर में, संशोधित लागत विवरणी में सीओपीटी ने 2006-07 में सूचित किए गए विशेष मरम्मत व्यय और वर्ष 2007-08 में सूचित किए गए विशेष सर्वेक्षण व्यय को पांच वर्ष से भी अधिक की अवधि में चुकता किया बताया है ।

- (iii) ड्रैज़र के लिए रू . 25,000/- प्रति घंटा का वर्तमान प्रभार लागत को पर्याप्त रूप से भरपाई नहीं करता। इसने वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान खर्च की गई वास्तविक लागत दर्शाते हुए लागत विवरणी प्रस्तुत की है।
- (iv) पत्तन ने सूचित किया है कि लागताधिक प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिए (मूल प्रस्ताव के साथ दाखिल की गई लागत विवरणी के आधार पर) पिछले पांच वर्षों, अर्थात् 2004-05 से 2008-09 तक, में प्रतिघंटा दर रू .40,000/- से रू .67,000/- तक परिगणित होती है। पांच वर्षों के लिए औसत लागत रू.52,600/- परिगणित होती है। इसलिए, इसने ड्रैज़र का किराया प्रभार रू .52,000/- प्रतिघंटा संशोधित करने का प्रस्ताव किया है।
- (v) दिनांक 9 अप्रैल 2008 के पत्र के माध्यम से दाखिल की गई संशोधित लागत विवरणी वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक की वास्तविक और वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए अनुमानित स्थिति निम्नानुसार दर्शाती है :-

(रू . लाख में)

क्र. सं.	विवरण	वास्तविक			अनुमान	
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
(i)	कुल परिवर्तनीय लागत	530.40	813.63	687.29	970.18	993.89
(ii)	स्थिर लागत (ब्याज और मूल्य हास)	578.19	578.19	582.72	588.60	588.60
(iii)	पूंजी लागत पर 6% की दर से ब्याज	208.54	208.54	210.65	210.65	210.65
(iv)	कुल लागत + प्रतिलाभ	1317.12	1600.36	1480.67	1769.43	1793.14
(v)	कार्य दिवस	173	239	161	196	242
(vi)	दर प्रतिदिन	7.61	6.70	9.20	9.03	7.41
(vii)	पूर्ण रूपों में बदलने के बाद दर प्रति घंटा (रूपों में)	48000	42000	58000	56500	46500

तैरती क्रेन (फ्लोटिंग क्रेन) पेरियार

- (vi) तैरती क्रेन, एक तैरते मंच / चबूतरे पर जड़ी होती है और इसका उपयोग मूल रूप से पानी में गिर गई वस्तुओं को उठाने के लिए, रक्षकों / रक्षक-नौकाओं (ब्यायज़), नौकाओं, लंगरों इत्यादि को उठाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ सामान को एक नाव से दूसरी नाव तक स्थानान्तरित करने के लिए, औजार ले जाने के लिए और पोत दल के सदस्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भी किया जाता है।
- (vii) इसका उपयोग पत्तन द्वारा अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए किया जाता है और पत्तन की जल-सीमा के भीतर बाहरी एजेन्सियों द्वारा उनके उपयोग के लिए किराए पर दिया जाता है।
- (viii) 1999 तक इस क्रेन के लिए प्रभार टन-भार और प्रतिघंटा आधार पर लगाए जाते थे। इन प्रभारों को प्रति पाली (शिफ्ट) स्थिर बुकिंग प्रभारों और प्रति टन लिफ्टिंग प्रभारों में संशोधित किया गया था। इस तैरती क्रेन के लिए प्रभार 2004 और 2007 में पिछली दो सामान्य संशोधन कवायदों में संशोधित नहीं किए गए

थे। पिछले प्रचालन घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए इसने तैरती क्रेन के किराया-प्रभारों को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है।

- (ix) पत्तन ने वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक वास्तविक लागत और वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए अनुमानित लागत दर्शाते हुए लागत-विवरण प्रस्तुत की है। कथित तैरती क्रेन के लिए सीओपीटी द्वारा दाखिल की गई लागत-विवरण निम्नलिखित स्थिति दर्शाती है :-

(रु . लाख में)

विवरण	वास्तविक			अनुमान	
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
किराए से आय	2.54	16.17	4.48	5.00	5.50
कुल लागत	57.90	74.18	72.82	118.07	223.52
शुद्ध घाटा	-55.36	-58.01	-68.34	-113.07	-218.02

- 2.5 वर्तमान प्रभार की तुलना में प्रस्तावित प्रभार दर्शाने वाली सारणी नीचे दी गई है :-

क्र.सं.	उपकरण	वर्तमान प्रभार	प्रस्तावित प्रभार
1.	ड्रैज़र नेहरू शताब्दी	रु .25000/- प्रतिघंटा या उसका अंश	रु .52000/- प्रति घंटा या उसका अंश
2.	तैरती क्रेन एफ.सी. पेरियार		
	(i)फिक्स्ड बुकिंग चार्ज	रु .5000/- प्रति शिफ्ट या उसका अंश	रु .2000/- प्रति शिफ्ट या उसका अंश
	(ii)लिफ्टिंग चार्ज (दर प्रतिटन या उसका अंश)	रु . 210/-	30 टन तक - रु .600/- 30 से 60 टन तक - रु .800/- 60 से 90 टन तक - रु .1200/- 90 टन से अधिक - रु .1500/-

3. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार सीओपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव संबंधित उपयोगकर्ताओं / उपयोगकर्ता संगठनों को उनका अभिमत जानने के लिए भेजा गया था। उपयोगकर्ताओं / उपयोगकर्ता संगठनों से प्राप्त अभिमत टिप्पणियां, प्रति पूरक सूचना के रूप में सीओपीटी को भेजी गई थीं। सीओपीटी ने उपयोगकर्ताओं / उपयोगकर्ता संगठनों की टिप्पणियों पर अपना उत्तर दिया है।

4. प्रस्ताव की आरंभिक जांच-पड़ताल के आधार पर, दिनांक 5 जून 2009 के हमारे पत्र द्वारा सीओपीटी को सलाह दी गई थी कि वह अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। सीओपीटी दिनांक 2 नवंबर 2009 के अपने पत्र द्वारा अपना उत्तर दाखिल किया है। उठाए गए प्रश्नों और सीओपीटी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण संक्षेप में, बाद के पैराग्राफों में दिया गया है।

- 5.1 इस प्रकरण में 20 जून 2009 के संयुक्त सुनवाई सीओपीटी के परिसर में आयोजित की गई थी।

5.2 संयुक्त सुनवाई में सीओपीटी से हमारे पत्र दिनांक 5 जून 2009 द्वारा मांगे गए अतिरिक्त सूचनाएं / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था और उत्तर उस समय तक प्रतीक्षित था। सीओपीटी ने दिनांक 2 नवंबर 2009 के पत्र द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया है। हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्नों और सीओपीटी द्वारा दिए गए उनके उत्तर संक्षेप में नीचे दिए गए हैं :-

क्रम सं.	हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न	सीओपीटी से प्राप्त उत्तर
क.	एफ.सी. पेरियार और ड्रैज़र नेहरू शताब्दी के किराया प्रभार तय करने के लिए प्रस्तुत लागत गणना से संबंधित सामान्य प्रश्न	
(i)	(क) विस्तृत गणना के साथ काम के घंटों के रूप में ड्रैज़र की अभिकल्पित क्षमता प्रस्तुत करें। (ख) तैरती क्रेन (एफ.सी.) पेरियार की अभिकल्पित क्षमता टन-भार के रूप में बताइए। यदि कथित क्रेन द्वारा भिन्न-भिन्न मिश्रण वाले कार्गो उठाए जाते हैं तो भिन्न-भिन्न कार्गो मदों के लिए अलग-अलग प्रहस्तन दरों को ध्यान में रखते हुए क्रेन की क्षमता दर प्रस्तुत की जाए। इस संबंध में विस्तृत गणना प्रस्तुत करें।	(क) ड्रैज़र नेहरू शताब्दी की क्षमता प्रति दौरा 1500 घन मी. है और यह 12 घंटे के कार्य समय में दो दौरे लगा सकता है। इसकी प्रति दौरा (फेरा) ठोस तलछट हटाने की प्रभावी मात्रा 1150 घ.मी. है। (ख) तैरती क्रेन एफ.सी. पेरियार की अभिकल्पित क्षमता प्रति लिफ्ट 100 टन है। क्रेन अलग-अलग मिश्रण वाले कार्गो नहीं प्रहस्तित कर रहा।
(ii)	लागत विवरणी, दोनों उपकरणों के लिए क्षमता के संदर्भ से तैयार की जाए। खर्चों का अनुमान, वर्ष 2008-09 में पत्तन द्वारा वहन किए गए वास्तविक खर्च के आधार पर क्षमता के अनुसार अनुमानित किए जाए।	लागत विवरणी 2008-09 के वास्तविकों के अनुसार अद्यतन कर ली गई हैं। प्रहस्तित वास्तविक यातायात और वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए उपकरणों की आय और व्यय को संशोधित लागत विवरणी में अद्यतन कर लिया गया है जो निम्नानुसार है :- ड्रैज़र - रू .550 लाख प्रति वर्ष एफ.सी. पेरियार - रू .12 लाख प्रति वर्ष
(iii)	वर्तमान प्रशुल्क स्तर पर और प्रस्तावित प्रशुल्क पर आय की विस्तृत गणना देते हुए प्रस्तावित प्रशुल्क पर अगले 3 वर्ष अर्थात् 2009-10 से 2011-12 तक प्रोद्भूत होने वाला अतिरिक्त राजस्व प्रस्तुत करें।	वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक वर्तमान प्रशुल्क पर प्रोद्भूत होने वाला राजस्व लागत विवरणी में दिया है।
ख.	ड्रैज़र नेहरू शताब्दी से संबंधित प्रश्न	
(i)	परिवर्तनीय लागत (क) प्रत्यक्ष लागत लागत केंद्र कोड 324 में इस विशेष गतिविधि हेतु अधिग्रहित लागत आबंटन का आधार प्रस्तुत करें। (ख) उपरिव्यय सामान्य संशोधन प्रस्ताव के लिए सीओपीटी द्वारा	(क) प्रत्यक्ष लागत का आवश्यक विवरण लागत विवरणी में दिया गया है। (ख) उपरिव्यय का आबंटन संशोधित किया गया है और सामान्य प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव के लिए दाखिल

	दाखिल की गई लागत विवरणी दर्शाती है कि अनुमानित प्रबंधन और सामान्य उपरिव्यय पत्तन और गोदी सुविधाओं में कुल प्रचालन लागत का, जिसमें यह कार्य कलाप भी शामिल है लगभग 33% भाग बनता है। उपरोक्त के प्रकाश में, ड्रैज़र के प्रचालन के लिए प्रचालन लागत के 50% पर उपरिव्यय के अनुमान का औचित्य बताइए।	संशोधित लागत विवरणी के अनुसार उस पर विचार किया गया है।																												
(ii)	ड्राई डॉकिंग प्रभार वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान प्रत्येक वर्ष लागत विवरणी में विचार किए गए रू . 54.15 लाख के ड्राई डॉकिंग व्यय अलग-अलग वर्षों के वार्षिक लेखा में व्यक्त किए गए वर्ष 2005-06 में रू . 31.91 लाख, 2006-07 में रू .9.74 लाख और 2007-08 में रू .46.26 लाख के वास्तविक ड्राई डॉकिंग व्यय से मेल नहीं खाते।	ड्राई डॉकिंग प्रभार वर्ष 2007-08 में वहन किए गए रू .472.09 लाख के ड्राई डॉकिंग व्यय वर्ष 2012-13 तक 6 वर्षों में बराबर परिशोधन किया गया है।																												
(iii)	(क) विशेष सर्वेक्षण व्यय का परिशोधन समझा गया है कि वर्ष 2006-07 में विशेष सर्वेक्षण की मद में सूचित रू .523.88 लाख का व्यय 15 वर्ष की अवधि के लिए है। इस संदर्भ में बताइए कि क्यों विशेष सर्वेक्षण व्यय को 15 वर्षों की बजाए 5 वर्षों में परिशोधित किया गया है। (ख) ड्रैज़र नेहरू शताब्दी को परिचालित करने की तिथि बताइए। साथ ही 31 मार्च 2009 को इस परिसम्पत्ति का शेष जीवन भी बताइए।	ड्रैज़र नेहरू शताब्दी 28 अगस्त 1993 को खरीदा गया और परिचालित किया गया था। परिसंपत्ति का जीवन काल 20 वर्ष है। परिसंपत्ति का शेष जीवन मात्र 4 वर्ष का है। इसलिए, उसे उतने ही वर्षों के लिए परिशोधित किया गया है।																												
(iv)	(क) प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.7.1 के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 में प्रदत्त जीवन मानदंडों के आधार पर परिसंपत्ति के लिखित मूल्य पर मूल्य ास विचारित किए जाने की आवश्यकता है। कृपया पुष्टि करें कि लागत विवरणी में परिगणित मूल्य हास प्रशुल्क मार्गदर्शियों के अनुरूप है। (ख) यह स्पष्ट नहीं है कि लागत विवरणी में विचारित रू .3475.65 लाख की राशि कथित परिसंपत्ति की मूल लागत या लिखित मूल्य है कृपया वर्ष 2007-08 और 2008-09 (अनन्तिम आंकड़े) के वार्षिक लेखा में सूचित अचल परिसंपत्तियों के सकल खंड और शुद्ध खंड में सूचित परिसंपत्तियों का मूल्य बताएं। वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए परिसंपत्ति का अनुमानित सकल / शुद्ध मूल्य भी बताइए।	(क) उपकरण की प्रचालन लागत कम करने हेतु सरकारी मार्गदर्शियों के अनुसार मूल्य ास सरल लेखा विधि द्वारा परिगणित किया गया है। (ख) अपेक्षित विवरण नीचे दिया गया है :- (लाख रू .में)																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>सकल खंड</th> <th>मूल्य ास</th> <th>शुद्ध खंड</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006-07</td> <td>3510.89</td> <td>178.97</td> <td>1078.24</td> </tr> <tr> <td>2007-08</td> <td>3510.89</td> <td>178.97</td> <td>899.27</td> </tr> <tr> <td>2008-09</td> <td>3510.89</td> <td>178.97</td> <td>720.30</td> </tr> <tr> <td>2009-10</td> <td>3510.89</td> <td>178.97</td> <td>541.33</td> </tr> <tr> <td>2010-11</td> <td>3510.89</td> <td>178.97</td> <td>362.36</td> </tr> <tr> <td>2011-12</td> <td>3510.89</td> <td>178.97</td> <td>183.38</td> </tr> </tbody> </table>		सकल खंड	मूल्य ास	शुद्ध खंड	2006-07	3510.89	178.97	1078.24	2007-08	3510.89	178.97	899.27	2008-09	3510.89	178.97	720.30	2009-10	3510.89	178.97	541.33	2010-11	3510.89	178.97	362.36	2011-12	3510.89	178.97	183.38
	सकल खंड	मूल्य ास	शुद्ध खंड																											
2006-07	3510.89	178.97	1078.24																											
2007-08	3510.89	178.97	899.27																											
2008-09	3510.89	178.97	720.30																											
2009-10	3510.89	178.97	541.33																											
2010-11	3510.89	178.97	362.36																											
2011-12	3510.89	178.97	183.38																											

(v)	<p>प्रशुल्क मार्गदर्शियों के अनुसार महापत्तन न्यास / प्राइवेट टर्मिनल नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का दावा करने के जो इस समय 16% की दर पर है, हकदार हैं। इस संदर्भ में बताए कि क्यों प्रतिलाभ, लागत परिगणना में 6% पर आकलित किया गया है।</p> <p>चूंकि 16% की प्रतिलाभ प्रतिशतता ऋण की लागत को हिसाब-किताब में लेती है, निवेश पर ब्याज को परिगणना से बाहर रखने की आवश्यकता है।</p>	<p>संशोधित लागत विवरणी में निवेश पर प्रतिलाभ 16% की दर से लिया गया है और निवेश पर ब्याज को शामिल नहीं किया गया है।</p>																		
(vi)	<p>विशेष सर्वेक्षण, विशेष मरम्मत इत्यादि से संबंधित समस्त व्यय ड्रैज़र से संबंधित लागत विवरणी में शामिल किए गए हैं। लागत विवरणी तैयार करते समय, ऐसा लगता है कि इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है कि ड्रैज़र का उपयोग आंशिक रूप से पत्तन द्वारा और आंशिक रूप से बाहरी (एजेन्सियों) द्वारा किराए पर किया जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है लागत विवरणी इसके उपयोग के बावजूद काम के घंटों के रूप में आकलित ड्रैज़र की क्षमता के संदर्भ से तैयार की जानी चाहिए।</p>	<p>वहन की गई कुल लागत के साथ निवेश पर प्रतिलाभ दृष्टिकोण के आधार पर प्रतिघंटा लागत की गणना की गई है। उपकरण के प्रचालन के लिए प्रतिघंटा अपेक्षित राजस्व पर विचार किया गया है।</p>																		
ग.	<p>तैरती क्रेन एफ.सी. पेरियार से संबंधित प्रश्न</p>																			
(i)	<p>(क) वेतन, ईंधन एवं भंडारण, और मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत के इस गतिविधि के अंतर्गत प्रभाजन का आधार बताइए।</p> <p>(ख) वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक प्रत्येक वर्ष के लिए मानव बल और औसत कर्मचारी लागत की संरचना दर्शाते हुए वेतन-लागत का विवरण प्रस्तुत करें। इसकी भी पुष्टि करें कि वेतन लागत के लागत अनुमानन में संभावित वेतन संशोधन के प्रभाव को शामिल किया गया है। इस प्रकार के अनुमानन का आधार भी प्रस्तुत करें।</p>	<p>(क) वर्ष 2007-08 और 2008-09 की अवधि में क्रेन को प्रचालित करने हेतु खर्च की गई वास्तविक लागत नीचे दी गई है :-</p> <p style="text-align: right;">(रु .लाखों में)</p> <table border="1" data-bbox="812 1150 1383 1541"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>2007-08</th> <th>2008-09</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>वेतन</td> <td>40.80</td> <td>47.31</td> </tr> <tr> <td>भंडार और ईंधन</td> <td>7.81</td> <td>5.79</td> </tr> <tr> <td>मरम्मत एवं अनुरक्षण</td> <td>12.71</td> <td>18.99</td> </tr> <tr> <td>ड्राई डॉकिंग</td> <td>0.00</td> <td>9.18</td> </tr> <tr> <td>कुल योग</td> <td>61.32</td> <td>81.27</td> </tr> </tbody> </table> <p>(ख) उपकरण के प्रचालन के लिए वर्तमान मानवबल 19 है और वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के लिए प्रति कर्मचारी औसत लागत क्रमशः रु .2.15 लाख और रु .2.49 लाख है। वेतन के वर्तमान स्तर पर वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए कर्मचारी लागत 23% की दर से अधिक अनुमानित की जाएगी।</p>	विवरण	2007-08	2008-09	वेतन	40.80	47.31	भंडार और ईंधन	7.81	5.79	मरम्मत एवं अनुरक्षण	12.71	18.99	ड्राई डॉकिंग	0.00	9.18	कुल योग	61.32	81.27
विवरण	2007-08	2008-09																		
वेतन	40.80	47.31																		
भंडार और ईंधन	7.81	5.79																		
मरम्मत एवं अनुरक्षण	12.71	18.99																		
ड्राई डॉकिंग	0.00	9.18																		
कुल योग	61.32	81.27																		

	<p>(ग) मानव बल मापदंडों पर 2006 का नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अवार्ड पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.6.2 भी पत्तन से यह अपेक्षा करता है कि वह मानव बल मापदंडों की नियमित रूप से समीक्षा करता रहे। कृपया इस बात की पुष्टि करें कि वेतन लागत का अनुमान करने हेतु लागत विवरणी में शामिल किया गया मानव बल मापदंड संशोधित मानव बल मापदंड के अनुरूप हैं।</p>	<p>(ग) 2006 का नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अवार्ड पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है वर्तमान मानव बल मापदंड, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अवार्ड के अनुरूप नहीं है।</p>
(ii)	<p>प्रतिघंटा औसत ईंधन खपत और वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक लागत के अनुमानन के लिए अपनाई गई ईंधन और भंडारण लागत के अनुमानन का विस्तृत आधार प्रस्तुत करें। वर्ष 2006-07 से 2008-09 के लिए वास्तविक ईंधन लागत के संदर्भ से कथित ब्यौरे भी प्रदान करें।</p>	<p>औसत ईंधन खपत प्रति घंटा तैरने के लिए 60 लिटर और क्रेन प्रचालन के लिए 20 लिटर है। वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए भी खपत की यही दर अनुमानित की गई है।</p>
(iii)	<p>वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक मरम्मत और अनुरक्षण लागत के अनुमानन का आधार गणना ब्यौरे के साथ दिखाया जाए।</p>	<p>यह नियमित अनुरक्षण और ड्राईडॉकिंग का भाग है जो स्टील बॉडी फ्लोटिंग क्रेन के लिए दो वर्ष में एक बार होता है।</p>
(iv)	<p>(क) वर्ष 2006-07 की लागत विवरणी में सम्मिलित ड्राई डॉकिंग व्यय की मद में रु. 931207/- की राशि वार्षिक लेखा में वर्ष 2006-07 के लिए ड्राई डॉकिंग की मद में सूचित वास्तविक व्यय से मेल नहीं खाती। इस प्रकार की भिन्नता के लिए कारण बताए जाएं।</p> <p>(ख) वार्षिक लेखा दिखाते हैं कि ड्राई डॉक व्यय एक नियमित राजस्व व्यय है। इस संदर्भ में, वर्ष 2006-07 में वहन किए गए रु. 931207/- के ड्राई डॉकिंग खर्चों को पांच वर्ष की अवधि में प्रभाजित करने का आधार और कारण बताइए।</p> <p>(ग) स्पष्ट करें कि वर्ष 2008-09 में ड्राई डॉक व्यय के रूप में अनुमानित तौर पर वहन किए जाने वाले रु. 500 लाख पूंजी किस्म के हैं या राजस्व किस्म के। चूंकि वर्ष 2008-09 पहले ही समाप्त हो चुका है वास्तविक स्थिति के साथ लागत विवरणी का अद्यतन कीजिए।</p>	<p>(क) लागत विवरणी को संशोधित किया गया है और संलग्न किया गया है।</p> <p>(ख) परिसंपत्ति एफ.सी. पेरियार 1966 में प्रचलित की गई थी, इस परिसंपत्ति का जीवन काल 25 वर्ष है और इसका जीवन 1991 में ही पूरा हो गया। पत्तन इसे 43 वर्षों से भी अधिक अवधि से प्रचालित कर रहा है और भविष्य में इस परिसंपत्ति की कार्य साधक स्थिति कैसी होगी बताना कठिन है। इसलिए ड्राई डॉकिंग खर्चों को पांच वर्षों में समभाजित कर दिया गया है।</p> <p>(ग) पत्तन की खराब वित्तीय स्थिति के कारण 2008-09 में कोई ड्राई डॉकिंग नहीं की गई।</p>
(v)	<p>सामान्य संशोधन प्रस्ताव के लिए दाखिल की गई लागत विवरणी दर्शाती है कि अनुमानित प्रबंधन और</p>	<p>प्रबंधन और सामान्य उपरिव्यय को सामान्य प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव में शामिल लागत आबंटन की बराबरी पर</p>

	सामान्य उपरिव्यय, कार्गो संबंधी गतिविधि में, जिसमें यह गतिविधि भी शामिल है, कुल प्रचालन लागत का 25% भाग है। उपरोक्त के प्रकाश में, इस परिसंपत्ति को किराए के लिए प्रचालन लागत के 50% पर उपरिव्यय के अनुमानन का औचित्य बताइए।	समानुपातिक रूप से आबंटित किया गया है।
(vi)	अचल परिसंपत्तियों के सकल खंड और शुद्ध खंड में सूचित की गई इस परिसंपत्ति का मूल्य प्रस्तुत करें।	चूक परिसंपत्ति का जीवनकाल 1991 में पहले ही पूरा हो चुका है, परिसंपत्ति का शुद्ध खंड शून्य है। जैसाकि परिसंपत्ति का जीवन काल पहले ही समाप्त हो चुका है, लेखा में परिसंपत्ति का मूल्य गैर और निवेश पर प्रतिलाभ को नहीं लिया गया है।
(vii)	(क) वर्तमान एकल दर के समक्ष चार चरणों में बढ़ती दरों के साथ प्रस्तावित लिफ्टिंग प्रभार तक पहुँचने का आधार प्रस्तुत करें। (ख) फिक्स्ड बुकिंग चार्जेज में प्रस्तावित वृद्धि वर्तमान प्रशुल्क पर 220% है। लिफ्टिंग प्रभारों में चरण बद्ध रूप से प्रस्तावित वृद्धि पहले चरण के लिए (30 टन तक) 185% से अंतिम चरण के लिए (90टन से अधिक) 614% तक जाती है। अतिरिक्त लागत में वृद्धि के साथ-साथ पत्तन द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त सेवाओं की, यदि कोई हो, लागत के संदर्भ से और पत्तन द्वारा हाल ही में दाखिल सामान्य संशोधन प्रस्ताव में वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए कार्गो प्रहस्तन गतिविधि में 2% के समग्र अधिशेष के संदर्भ से प्रशुल्क में प्रस्तावित इतनी अधिक वृद्धि का औचित्य बताइए।	(क) भारी वजन (लिफ्ट्स) उठाने के लिए ईंधन की खपत समानुपातिक रूप से अधिक होती है, इसलिए दरें चरणों में प्रस्तावित हैं। (ख) क्रेन मुख्य रूप से पत्तन के कार्गो के लिए प्रचालित है। बाहरी एजेन्सियों को परिसम्पत्ति की सेवाएं केवल मांग के आधार पर ही प्रदान की जाएंगी। बाहरी एजेन्सियों द्वारा उपयोग से उपजने वाली आय बहुत कम है।

5.3 पत्तन द्वारा वर्ष 2008-09 (वास्तविक) और वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक के अनुमान के लिए दाखिल संशोधित लागत विवरणी का संक्षेप निम्नानुसार है :-

(i) **ड्रैजर नेहरू शताब्दी**

(रु . लाखों में)

क्र. सं.	ब्यौरा	वास्तविक	अनुमान		
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
(i)	आय	1010.88	550.00	550.00	550.00
(ii)	कुल लागत	1156.15	1618.26	1258.34	1278.60
(iii)	शुद्ध खंड पर 16% की दर से निवेश पर प्रतिलाभ	115.25	86.61	57.98	29.34
(iv)	शुद्ध अधिशेष	-409.53	-1432.53	-980.80	-981.67
(v)	कार्य दिवस	275	275	275	275
(vi)	दर प्रति दिन (लाख रु .में)	4.08	5.19	4.01	3.94
(vii)	दर प्रति घंटा (रु . में परि.)	--	32438	25063	24625

(ii) तैरती क्रेन पेरियार

क्र. सं.	ब्यौरा	वास्तविक	अनुमान		
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
(i)	किराए से आय	8.37	12.00	12.00	12.00
(ii)	कुल लागत	81.27	214.72	105.90	127.08
(iii)	शुद्ध घाटा	-72.89	-202.72	-93.90	-115.08

6. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित प्रक्रिया इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड पर उपलब्ध है। प्राप्त टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों का सारांश संबंधित पक्षों को अलग से भेजा जायेगा। ये ब्यौरे हमारे वैबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध करवाये जायेंगे।

7. इस प्रकरण पर प्रक्रिया करने के दौरान संग्रहित सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

- (i) कोच्चि पत्तन न्यास (सीओपीटी) द्वारा दाखिल किया गया प्रस्ताव दो मदों यथा ड्रैज़र नेहरू शताब्दी और तैरती क्रेन (फ्लोटिंग क्रेन / एफ.सी.) पेरियार के लिए निर्धारित वर्तमान किराया प्रभारों के संशोधन के लिए है पत्तन ने दिनांक 2 नवंबर 2009 के अपने पत्र के माध्यम से, वर्ष 2008-09 के लिए वास्तविक के आधार पर संशोधित लागत विवरणी प्रस्तुत की है जिसे इस प्रकरण पर कार्यवाही के दौरान की गई प्रस्तुतियों के साथ, इस विश्लेषण में विचारार्थ लिया गया है।
- (ii) इन दो तैरती क्रेनों / उपकरणों के वर्तमान किराया प्रभारों में बढ़ोतरी की मांग करने का एक मुख्य कारण, आरंभिक स्तर पर इन गतिविधियों में अत्यधिक राजस्व घाटे की आंशिक रूप से भरपाई करना है। वर्ष 2008-09 के वास्तविकों के आधार पर, पत्तन द्वारा दाखिल की गई दिनांक 2 नवंबर 2009 की संशोधित लागत विवरणी इस स्थिति को साफ-साफ उजागर करती है। पत्तन द्वारा ड्रैज़र के लिए दाखिल की गई लागत विवरणी, प्रस्तावित प्रशुल्क पर ड्रैज़र के किराए से अर्जित किए जाने के लिए अपेक्षित रु. 16.50 की कुल आय की तुलना में वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक तीन वर्षों में रु. 32.21 करोड़ के प्रतिलाभ से पहले राजस्व का घाटा प्रतिबिंबित करती है। तैरती क्रेन सेवाओं के लिए लागत विवरणी तदनुरूप अवधि के लिए रु. 36 लाख की आय की तुलना में रु. 411.70 लाख के प्रतिलाभ से पहले राजस्व घाटा दर्शाती है।
- (iii) यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि पारादीप और तूतीकोरिन जैसे कुछ पत्तनों पर हाल ही में तय किए गए हार्बर मोबाइल क्रेनों के किराया प्रभार मानदंडीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उपकरण की इष्टतम क्षमता पर आधारित थे। वर्तमान प्रकरण में सुनिश्चित किया जाने वाला प्रशुल्क, तथापि ऐसी एकाकी सेवा के लिए है जिसके लिए 2008 के मार्गदर्शियों में कोई मानदंड प्रदान नहीं किए गए हैं। इसलिए, सामान्य लागताधिक विधि का अनुपालन करते हुए और पिछले वर्ष 2008-09 के लिए प्रस्तुत वास्तविकों के संदर्भ से अनुमानों की तार्किकता का आकलन करते हुए विश्लेषण किया गया है। यहाँ यह बताना उचित होगा कि तैरती क्रेन एफ.सी. पेरियार अपना उपयोगी जीवन काल पूरा कर चुकी है और परिसंपत्ति मूल्य का पूरी तरह मूल्य ास हो चुका है और ड्रैज़र भी वर्ष 2012-13 तक अपना उपयोगी जीवन काल पूरा करने के कगार पर है। ये दोनों उपकरण प्रभावी रूप से पत्तन के अपने कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं और बहुत ही सीमित अवसरों पर उपयोगकर्ताओं द्वारा मांगे जाने पर ही किराए पर दिए जाते हैं। ऊपर बताए गए कारणों से, मानक क्षमता के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने की बजाए, जैसाकि कुछ अन्य मामलों में किया गया है, इन उपकरणों का प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए सामान्य लागत अधिक विधि अपनाई गई है। अत्यधिक सावधानी बरतते

हुए यह बताया गया है कि इन उपकरणों के प्रशुल्क निर्धारण के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण अन्य प्रकरणों / मामलों में उपकरण के प्रभार निर्धारित करने के लिए पिछला उदाहरण / नज़ीर नहीं बनना चाहिए।

पत्तन की समग्र वित्तीय स्थिति को और ट्रैज़र तथा प्लोटिंग क्रेन के अनुरक्षण की विशाल लागत को देखते हुए पत्तन को चाहिए कि वह यथाशीघ्र मानवबल मापदंड पर नेशनल ट्रिब्यूनल अवार्ड लागू करने की लागत कम करने का प्रयास करे। बेहतर वाणिज्यिक उपयोग सुधारने के लिए न केवल लागत में कमी बल्कि सेवा की विश्वसनयिता भी एक पूर्व शर्त / पूर्व आवश्यकता है और इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पत्तन को अपनी आवश्यकताओं का आकलन करना चाहिए और वर्तमान आवश्यकताओं के स्थान पर आधुनिक और कार्यक्षम सुविधाओं को स्थान देना चाहिए। यदि वित्तीय रूप से लाभदायक सिद्ध हो, पत्तन को इन उपकरणों को, जो अपना उपयोगी और किफायती जीवनकाल पहले ही जी चुके हैं, विखंडित कर दे और अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपेक्षित सेवाएं बाहर से लेने की संभावनाएँ तलाश करें।

- (iv) उपकरण पर किराया प्रभार सामान्य रूप से, अलग अलग उपकरण के आधार की बजाय उपकरण क्षमता - परास (कैपेसिटी रेंज) के आधार पर तय किए जाते हैं। तात्कालिक प्रकरण में, ड्रैज़र नेहरू शताब्दी और तैरती क्रेन पेरियार, अपनी अलग-अलग श्रेणियों में एकल अलग उपकरण हैं, जैसाकि पत्तन ने बताया है। इसलिए यदि कैपेसिटी-रेंज के आधार पर दर तय करने का कोई प्रयोजन नहीं होगा।
- (v) ड्रैज़र से अनुमानित आय वर्ष 2008-09 में ₹ . 1011 लाख से गिरकर वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक प्रत्येक वर्ष ₹ . 550 लाख रह गई है। जब इसका स्पष्टीकरण मांगा गया तो पत्तन ने दिनांक 17 दिसम्बर 2009 के अपने ई-मेल द्वारा स्पष्ट किया है कि वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 के लिए आय का प्रोजेक्शन ₹ . 52000 प्रति टन की प्रस्तावित दर पर आधारित है जो, इस प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन 26 फरवरी 2008 से तदर्थ आधार पर पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है। पत्तन प्रशुल्क में प्रस्तावित वृद्धि के कारण उपयोग में कमी होने की आशंका व्यक्त करता है।
- (vi) ड्रैज़र का मुख्य रूप से, पत्तन द्वारा अपने ही कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है और केवल कभी-कभी बाहरी एजेन्सियों को उनकी मांग पर किराए पर दिया जाता है। तथापि, पत्तन द्वारा तैयार की गई लागत विवरणी इस स्थिति को स्वीकार नहीं करती। जबकि आय का अनुमान इस उपकरण के किराए से आने वाले राजस्व तक ही सीमित है, लागत का अनुमान स्पष्टतौर पर, पत्तन द्वारा प्रचालनों के लिए और बाहरी एजेन्सियों द्वारा प्रचालन पर होने वाले व्यय को अलग किए बिना, ड्रैज़र के प्रचालन के लिए होने वाले समस्त व्यय को समाहित करता है। इस बात का उल्लेख किए जाने पर, पत्तन ने विभिन्न प्रयोजनों अर्थात् इन वर्षों में से प्रत्येक में अपने उपयोग के प्रचालन और किराए पर प्रचालन के लिए अपेक्षित दिनों / घंटों की संख्या के आधार पर प्रचालन की यूनिट दर संशोधित की है। इन तैरती क्रेन (एफ.सी.) के लिए भी ऐसी ही गणना पुरस्तुत नहीं की है। तैरती क्रेन भी मुख्य रूप से पत्तन के अपने उपयोग के लिए और कभी-कभी बाहरी एजेन्सियों को किराये पर दी जाती है।
- (vii) सीओपीटी की लागत स्थिति, प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के भाग के रूप में, हाल ही में विस्तार से विश्लेषित की गई थी और जिन सिद्धांतों का उसमें पालन किया गया, यथोचित रूप में इस प्रकरण में भी अपनाए गए हैं। सीओपीटी द्वारा प्रस्तुत लागत विवरणी में किए गए मुख्य फेर बदल निम्नलिखित हैं:-

(क) एफ.सी. पेरियार के लिए वेतन और मजदूरी के अनुमान में वर्ष 2009-10 के लिए मजदूरी संशोधन का प्रभाव सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए, मजदूरी संशोधन की मद में 15% की वृद्धि प्रदान करने के लिए संबंधित लागत विवरणी में फेर बदल किया गया है और लागत अनुमान में 5.8% वार्षिक वृद्धि अनुमत की गई है।

(ख) ड्रैज़र नेहरू शताब्दी के संबंध में पत्तन ने वर्ष 2007-08 में वहन किए गए रु. 472.09 लाख के मुख्य ड्राई डॉक व्यय को, यह मानते हुए कि परिसंपत्ति वर्ष 2012-13 तक ही उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा, 6 वर्ष की अवधि में बराबर बांट दिया है। वर्ष 2007-08 में किए गए ड्राई डॉक व्यय को छः वर्ष की अवधि में बराबर बांटना पत्तन द्वारा प्रस्तावित माना गया है। इसी प्रकार वर्ष 2009-10 के लिए अनुमानित ड्राई डॉक व्यय 4 वर्षों में प्रभाजित किया गया है।

एफ.सी. पेरियार के बारे में, पत्तन ने वर्ष 2009-10 में ड्राई डॉकिंग व्यय के रूप में रु. 130 लाख रूपये का अनुमान किया है। यह स्वीकार करते हुए कि पिछली अवधि के लिए प्राप्त स्थिति के आधार पर इस उपकरण के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार ड्राई डॉक व्यय खर्च किया जाता है, वर्ष 2009-10 में अनुमानित व्यय को अगले तीन वर्षों में फैलानी उचित ही है क्योंकि व्यय का लाभ उस अवधि में उठाए जाने की अपेक्षा की गई है।

(ग) वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए प्रचालन लागत का अनुमान लगाते समय लागत मदों में वार्षिक वृद्धि 5.8% प्रति वर्ष पर सीमित रखी गई है।

(घ) पत्तन ने ड्रैज़र से संबंधित लागत विवरणी में वर्ष 2010-11 और 2011-12, के लिए प्रबंधन और सामान्य उपरिव्यय के आबंटित भाग पर विचार नहीं किया है। यद्यपि इसने वर्ष 2009-10 में उस पर विचार किया है। वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए अनुमानित प्रबंधन और सामान्य उपरिव्यय के भाग पर अलग - अलग पिछले वर्षों के अनुमानों पर अनुमेय 5.8% वार्षिक वृद्धि अनुमत करते हुए विचार किया गया है।

(ङ.) प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के एक भाग के रूप में पत्तन की समग्र लागत स्थिति का मूल्यांकन करते समय वित्त एवं विविध व्यय (एफएमई) के अनुमान मुख्यतः पेंशन भुगतानों के संदर्भ से समायोजित किए गए थे। ड्रैज़र की लागत के प्रतिशुद्ध वित्त और विविध व्यय का आबंटन भी तदानुसार संशोधित किया गया था। देखा गया है कि पत्तन ने एफसी पेरियार से संबंधित लागत विवरणी में कोई शुद्ध वित्त एवं विविध व्यय आबंटित नहीं किया है। हमारे द्वारा तैयार की गई लागत विवरणी में एफ.सी. पेरियार के प्रति शुद्ध वित्त एवं विविध व्यय आबंटित किया गया है। किसी अन्य उपलब्ध आधार के अभाव में, ड्रैज़र प्रचालन की कुल लागत की ओर वित्त एवं विविध व्यय के औसत भाग पर तैरती क्रेन गतिविधि के लिए शुद्ध वित्त एवं व्यय आबंटित करने के लिए विचार किया गया है।

पत्तन ने तैरती क्रेन पर मूल्य ग़ोस और प्रतिलाभ पर ठीक ही विचार नहीं किया है क्योंकि इसका किपुयती जीवन काल तो पहले ही समाप्त हो चुका था। ड्रैज़र नेहरू शताब्दी पर प्रतिलाभ परिसंपत्ति के शुद्ध स्थित मूल्य के 16% पर आकलित किया गया था। इस परिसंपत्ति पर पूर्ण प्रतिलाभ अनुमत किया गया है क्योंकि लागत की परिगणना ड्रैज़र के 275 दिन उपयोग के लिए, जो एक वर्ष में उपलब्ध दिनों की संख्या के 70% से अधिक है, की गई है। प्रतिलाभ ड्रैज़र के साथ-साथ एफ.सी. पेरियार, दोनों के लिए ड्राईडॉक व्यय के अप्रभाजित भाग पर भी अनुमत किया गया है।

संशोधित लागत विवरणी की एक प्रति **संलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

(viii) चूंकि 2009-10 का वर्ष शीघ्र ही समाप्त होने वाला है, वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए लागत स्थिति का प्रभाव प्रशुल्क समीक्षा का निर्णय करेगा।

(क) ऊपर वर्णित फेर बदल के अधीन, ड्रैज़र के लिए लागत विवरणी वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए लागताधिक प्रतिलाभ के बाद उसी अवधि में प्रस्तावित प्रशुल्क पर पत्तन द्वारा अनुमानित रू . 1100 लाख की आय के समक्ष रू .2465 लाख रू पये का कुल घाटा दर्शाती है। प्रतिशत के रूप में औसत घाटा प्रचालन आय का 224% परिकलित होता है। किन्तु जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, क्योंकि व्यय पत्तन के स्वयं के उपयोग और किराए के प्रयोजनों के बीच अलग नहीं किए गए हैं, प्रशुल्क वृद्धि निर्धारित करने के लिए केवल घाटे के आंकड़ों के अनुसार कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। पूछे जाने पर पत्तन ने अनुमानित वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं अर्थात् 275 दिन x 16 घंटे के लिए कुल वार्षिक प्रचालन घंटों के ऊपर लागताधिक प्रतिलाभ वसूलने के लिए वर्ष 2009-10 के लिए रू .32438 प्रतिघंटा, 2010-11 के लिए रू .25063 प्रतिघंटा और 2011-12 के लिए रू .24625 प्रतिघंटा दर तैयार की है।

हमारे अनुमानों के अनुसार संशोधित अनुमानित राजस्व आवश्यकता वर्ष 2010-11 के लिए रू .1777 लाख और वर्ष 2011-12 के लिए रू .1377 लाख है। वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए अनुमानित कुल लागताधिक प्रतिलाभ उगाहने के लिए औसत प्रतिघंटा दर पत्तन द्वारा किए गए अनुमानों के आधार पर रू .24864 की औसत की तुलना में रू .35843 प्रतिघंटा परिगणित होती है। जैसा पहले बताया गया है, पत्तन द्वारा अनुमानित दर, प्रबंधन और सामान्य उपरिव्यय के आबंटन के बिना है और उसमें कुछ अंकगणितीय त्रुटियां भी छूट गई हैं। ड्रैज़र के लिए किराया प्रभार रू . 35843 प्रतिघंटा अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदित दर पर वृद्धि वर्तमान प्रशुल्क से 43% परिगणित होती है जो हाल ही में समाप्त किए गए सीओपीटी की सामान्य समीक्षा में पोत संबंधी गतिविधि में अनुमत 40% की वृद्धि के संयोगवश बहुत करीब है।

(ख) पिछले विश्लेषण में वर्णित संशोधन के साथ, एफ.सी. पेरियार की लागत विवरणी वर्ष 2010-11 और 2011-12 में, पत्तन द्वारा इसी अवधि में वर्तमान प्रशुल्क पर अनुमानित रू .24 लाख की आय के समक्ष रू .318.74 लाख का सकल प्रचालन घाटा प्रतिबिंबित करती है। प्रतिशतता के रूप में यह घाटा 1328% है। यह स्वीकार करते हुए कि पत्तन वर्तमान प्रशुल्क स्तर पर प्रचालन लागत बड़ा भाग भी वसूल नहीं कर पाता है और लागत विवरणी में प्रदर्शित विशाल घाटे को देखते हुए, प्रथम दृष्टया सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित, दरों में वृद्धि स्वीकार करने का मामला बनता है।

इस पोत को मुख्यतः खतरे के निशानों को उठाने, औजारों-उपस्करों एवं चालक दल के सदस्यों को ले जाने संबंधी पत्तन प्रचालनों के लिए लगाया जाता है और कभी-कभी उन वस्तुओं को उठाने के लिए जो पानी में गिर जाती है, मांगे जाने पर, व्यापार जगत द्वारा उपयोग किया जाता है। पत्तन ने, प्रचालन के दिनों की संख्या / घंटों के संदर्भ से दर की परिगणना प्रस्तुत नहीं की है, जैसी ड्रैज़र के मामले में प्रस्तुत की है। ड्रैज़र के लिए उपनाए

गए दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए एक अनन्तिम गणना रू .3859/- से रू .3930 के बीच प्रतिघंटा दर प्रदान करती है।

वर्तमान दरमान में फिक्स्ड बुकिंग चार्ज के रूप में रू .5000 प्रति पाली (शिफ्ट) और रू .210/- प्रतिटन की समान शिफ्टिंग चार्ज की दरें दी गई हैं। पत्तन का प्रस्ताव रू .2000/- प्रतिघंटा के रूप में फिक्स्ड चार्ज और (वजन) के आधार पर बदलते हुए चरणों के अनुसार लिफ्टिंग प्रभार लगाने का प्रस्ताव है। प्रतिघंटा आधार पर अब प्रस्तावित फिक्स्ड प्रभार वर्तमान दर में 220% की वृद्धि होगी किन्तु यह स्वीकार करते हुए कि इससे उपयोगकर्ताओं को कुछ राहत मिलेगी क्योंकि यदि उनके द्वारा उपयोग एक पाली से कम अवधि के लिए है तो उन्हें पूरी पाली के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस एक बार प्रस्तावित फिक्स्ड (अपरिवर्तनीय) प्रभार अनुमोदित हो जाएं। लिफ्टिंग प्रभारों के बारे में, पहले चरण के लिए 30 टन तक के भार के लिए प्रस्तावित दर रू .600/- प्रति टन, 185% वृद्धि करती है और अंतिम चरण में 90 टन से अधिक के भार के लिए प्रस्तावित दर 614% की वृद्धि करती है। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि चरणबद्ध रूप से बढ़ती हुई दरें प्रस्तावित करने का कारण है कि जैसे जैसे उठाने वाले सामान का भार बढ़ता जाता है वैसे-वैसे ईंधन की खपत समानुपातिक रूप से बढ़ती चली जाती है। पत्तन द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण तार्किक / उचित जान पड़ता है किन्तु प्रस्तावित चरण बद्ध बढ़ती हुई दरों को समर्थन प्रदान करने के लिए कोई गणना-विवरण नहीं दिया है। फिर भी, यह मानते हुए कि इस गतिविधि में व्यापक प्रचालन घाटा है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस उपकरण को पत्तन के अपने उपयोग के अलावा दूसरे उपयोगों के लिए बहुत कम लगाया जाता है, यह प्राधिकरण चरणबद्ध रूप से बढ़ते हुए प्रभारों, जैसे ये पत्तन द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं, के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। प्रस्तावित प्रशुल्क पर पत्तन किसी अतिरिक्त आय की अपेक्षा नहीं करता। यह कहना उचित / प्रासंगिक होगा कि कोच्चि स्टीमर एजैन्ट्स एसोसिएशन ने भी स्वीकार किया है कि तैरती क्रेन का उपयोगकर्ताओं द्वारा यदा कदा उपयोग किया जाता है। किसी भी स्थिति में यदि कोई राजस्व संबंधी प्रभाव पड़ता भी है तो वह नगण्य होगा क्योंकि पिछली अवधि के लिए प्रस्तुत की गई स्थिति दर्शाती है कि इस मद से अर्जित आय जो रू . 4 लाख से रू .8 लाख प्रति वर्ष है, नगण्य है।

- (ग) सामान्य प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव की जांच पड़ताल करते समय पत्तन ने दिनांक 17 दिसंबर 2009 के अपने ई-मेल द्वारा प्रस्तुत किया कि इसने ड्रेजर नेहरू शताब्दी के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क 26 फरवरी 2008 से तदर्थ आधार पर, एकत्रित करना पहले से ही आरंभ कर दिया है जो प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन दिए जाने के अधीन है। प्रशुल्क मार्गदर्शियों के अनुसार जब किसी सेवा / कार्गो के लिए विनिर्दिष्ट प्रशुल्क, अधिसूचित दरमान में उपलब्ध नहीं होता है, तो पत्तन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है और, जब तक दर अन्तिम रूप से (फाइनली) अधिसूचित की जाती है, वह तदर्थ आधार पर दर लगा सकता है। इस प्रयोजन के लिए तदर्थ दर, तुलनीय या समान सेवाओं / कार्गो के लिए वर्तमान अधिसूचित प्रशुल्क के आधार पर परिगणित की जानी चाहिए और पत्तन तथा संबंधित उपयोगकर्ताओं के बीच इस पर परस्पर सहमति होनी चाहिए। पत्तन ने प्रस्तावित दर लगाने के लिए उपयोगकर्ताओं की सहमति प्रस्तुत नहीं की है। तथापि यह ध्यान देने योग्य है कि तदर्थ आधार पर पत्तन द्वारा कथित रूप से प्रस्तावित दर लगाने पर किसी उपयोगकर्ता / उपयोगकर्ता एसोसिएशन ने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है। 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.17.4 इस प्राधिकरण को, पिछले प्रभाव से तदर्थ आधार पर अपनाई गई अन्तरिम दर को मान्य करने का अधिकार प्रदान करती है। पत्तन द्वारा झेले जा रहे व्यापक राजस्व घाटे पर विचार करते हुए और यह मानते हुए कि ड्रेजर को किराए पर बाहर भेजना एक नियमित सेवा नहीं है, तदर्थ आधार पर रू . 52000 प्रति

घंटा की प्रस्तावित दर लागू करने के सीओपीटी के कदम का इसी रूप में अनुसमर्थन किया जाता है।

- (ix) प्रशुल्क मार्गदर्शी 3 वर्षों का प्रशुल्क वैधता चक्र अनुबंधित करते हैं। इस विश्लेषण में विचारित लागत स्थिति मार्च 2010 तक की है। इसके बाद इस प्रशुल्क मद की समीक्षा, दरमान में प्रदत्त अन्य प्रशुल्क मदों की समीक्षा के साथ करना उचित पाया गया है। ऐसी स्थिति में, कथित दो उपकरणों के लिए किराया प्रभारों की वैधता 31 मार्च 2010 तक निर्धारित की जाती है ताकि ये दोनों दरें संशोधित दरमान की वैधता के साथ समाप्त हों।
- (x) ड्रैज़र नेहरू शताब्दी और एफ.सी. पेरियार के संशोधित किराया प्रभार सीओपीटी के संशोधित दरमान क्रमशः अध्याय II और IV के अंतर्गत संबंधित / अनुषांगिक अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। तदनुसार संशोधित दरें, सीओपीटी के संशोधित दरमान के लागू करने की प्रभावी तिथि से प्रभाव में आएंगी।

8. परिणाम स्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से और समग्र विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण सीओपीटी के संशोधित दरमान के अध्याय II और IV के अन्तर्गत आनुषांगिक अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के लिए निम्नलिखित दरों को अनुमोदन प्रदान करता है :-

अध्याय II

2.2.4 फ्लोटिंग क्राफ्ट के किराए के लिए प्रभार

क्र.सं.	वर्ग	यूनिट	दर (रु.में)
4	ड्रैज़र जीएचडी नेहरू शताब्दी	प्रति घंटा या उसका भाग	35843/-

अध्याय IV

4.3 तैरती क्रेन (फ्लोटिंग क्रेन) और आइल स्किमर के लिए प्रभार

क्र. सं.	वर्ग	यूनिट	दर (रु.में)
1.	तैरती क्रेन एफ.सी. पेरियार		
	फिक्सड प्रभार	प्रतिघंटा या उसका भाग	2000/-
	लिफ्टिंग प्रभार	प्रति टन या उसका भाग	
	30 टन तक		600/-
	30-60		800/-
	60-90		1200/-
	90 से अधिक		1500/-

(रानी जाधव)

अध्यक्ष

ज़ेज़र के किराया प्रभार के संशोधन के लिए लागत विवरणी

(रु पए लाखों में)

क्र. सं.	ब्यौरे	वास्तविक जैसे सीओपीटी द्वारा प्रदत्त	तदर्थ आधार पर प्रमारित दर पर सीओपीटी द्वारा प्रसतुत अनुमान			प्राधिकरण द्वारा संशोधित अनुमान		
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11
I	आय	1011	550	550	550	550	550	550
II	प्रत्यक्ष लागत							
1	वेतन	271.14	324.16	405.20	425.46	324.16	342.96	362.85
2	भंडार एवं ईंधन	263.80	415.00	435.75	435.75	279.10	295.29	312.41
3	मरम्मत और अनुरक्षण	8.48	25.24	26.50	26.50	8.97	9.49	10.04
4	बीमा	7.50	7.00	7.35	7.35	7.00	7.00	7.00
5	झाड़ डार्किंग (रु .472.09 लाख/ 6 वर्ष) और (रु .500 लाख / 4 वर्ष)	78.68	78.68	78.68	78.68	78.68	78.68	78.68
			125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
	उप-योग	629.59	975.08	1078.48	1098.74	822.91	858.42	895.99
6	मूल्य षोस	179.85	179.85	179.85	179.85	179.85	179.85	179.85
7	सामान्य उपरिव्यय और प्रबंधन प्रशासन	346.71	463.32	0.00	0.00	366.82	388.09	410.60
	योग (II)	1156.16	1618.26	1258.34	1278.60	1369.59	1426.38	1075.84
III	प्रचालन अधिशेष / घाटा	-145.27	-1068.25	-708.34	-728.60	-819.59	-876.38	-936.46
IV	प्रचालन आय के % के रूप में घाटा		-194%	-129%	-132%	-149%	-159%	-170%
V	(एफएमई-एफएमआई) के आबंटित शेयर	149.01	277.66	214.49	223.73	292.14	227.54	239.30
VI	अधिशेष / घाटा	-294.28	-1345.92	-922.83	-952.33	-1111.74	-1103.92	-1175.76
VII	अधिशेष/घाटा प्रचालन आय के % के रूप में	-29%	-245%	-168%	-173%	-202%	-201%	-214%
VIII	वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए औसत अधिशेष/घाटा							-207%
IX	नियोजित पूंजी पर 16% की दर से प्रति लाभ	115.25	86.61	57.98	29.34	184.38	123.16	61.93
X	आरओसीई के बाद शुद्ध घाटा	-409.53	-1432.53	-980.81	-981.67	-1296.12	-1227.08	-1237.69
XI	प्रचालन आय के % के रूप में घाटा	-41%	-260%	-178%	-178%	-236%	-223%	-225%
XII	प्रचालन आय के % के रूप में औसत घाटा							-224%
XIII	कुल लागताधिक प्रतिलाभ		1983	1531	1532	1846	1777	1377
XIV	कार्य दिवस		275	275	275	275.00	275.00	275.00
XV	दर प्रतिदिन (रु पये लाख में)		5.19	4.01	3.94	6.71	6.46	5.01
XVI	दर प्रतिघंटा (रु पर्यो में)		32438	25063	24625	41957	40388	31297
XVII	अनुमोदित की जाने वाली औसत दर (रु . प्रति घंटा में)				24844		35843	

तैरती क्रेन (एफ.सी.) पेरियार के किराया प्रभार के संशोधन के लिए लागत विवरणी

क्र.सं.	ब्यौरे	सीओपीटी द्वारा प्रस्तुत वास्तविक	सीओपीटी द्वारा प्रस्तुत अनुमान			प्राधिकरण द्वारा संशोधित अनुमान		
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11
I	किराए से आय	8.37	12	12	12	12	12	12
II	प्रत्यक्ष लागत							
1	वेतन	50.18	45.79	57.24	68.69	61.06	64.60	68.35
2	भंडार एवं ईंधन	5.79	15.38	19.23	23.07	6.13	6.48	6.86
3	मरम्मत और अनुरक्षण	16.12	23.55	29.44	35.33	17.05	21.31	25.58
4	अन्य	9.18						
5	ड्राई डॉकिंग व्यय		130.00			43.33	43.33	43.33
	उप-योग(II)	81.27	214.72	105.90	127.08	127.57	135.73	144.11
III	आबंटित शुद्ध वित्त और विविध व्यय		0	0	0	25.51	27.15	28.82
IV	शुद्ध प्रचालन घाटा	-72.89	-202.72	-93.90	-115.08	-141.08	-150.87	-160.94
V	ड्राई डॉक व्यय के अप्रभाजित भाग पर 16% की दर से प्रतिलाभ		0.00	0.00	0.00	13.87	6.93	0.00
VI	प्रतिलाभ के बाद शुद्ध घाटा		-202.72	-93.90	-115.08	-154.95	-157.81	-160.94
VII	प्रचालन आय के % के रूप में शुद्ध घाटा		-1689%	-783%	-959%	-1291%	-1315%	-1341%
VIII	वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए औसत अधिशेष / घाटा		-1144%				-1328%	